# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ( जिला दौसा )

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी का नाम | : | मनीष कुमार जाटव, (आर०ए०एस०) |
| प्रकरण संख्या | : | 11/2023 |
| दायर दिनांक | : | 10.04.2023 |
| निर्णय दिनांक | : | 28.06.2024 |

1. लल्लूराम पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी दौसा खुर्द हाल निवासी गायत्री नगर आगरा रोड दौसा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. कैलाश चन्द शर्मा पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी गायत्री नगर आगरा रोड दौसा जिला दौसा
3. छोटेलाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी गायत्री नगर आगरा रोड दौसा जिला दौसा
4. जगदीश प्रसाद पुत्र कल्याण सहाय शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी गायत्री नगर आगरा रोड दौसा जिला दौसा
5. गोकुल प्रसाद पुत्र कल्याण सहाय शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी गायत्री नगर आगरा रोड दौसा जिला दौसा
6. हरिनारायण पुत्र कल्याण सहाय शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी गायत्री नगर आगरा रोड दौसा जिला दौसा
7. बाबूलाल शर्मा पुत्र कल्याण सहाय शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
8. महेश पुत्र कल्याण सहाय शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
9. मूली देवी पत्नी कल्याण सहाय शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
10. कालूराम पुत्र मूलचंद शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
11. केदार प्रसाद शर्मा पुत्र मूलचंद शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
12. सेडूराम शर्मा पुत्र मूलचंद शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
13. रामप्यारी देवी पत्नी मूलचंद शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
14. रमेश चन्द पुत्र ईश्वरमल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी गायत्री नगर दौसा जिला दौसा
15. कृष्णअवतार पुत्र ईश्वरमल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी गायत्री नगर दौसा जिला दौसा
16. शांति देवी पत्नी ईश्वरमल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी गायत्री नगर दौसा जिला दौसा
17. कमला देवी पुत्री रामसहाय शर्मा पत्नी रामेश्वर जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम द्वारापुरा तहसील बसवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

18. नारंगी देवी पुत्री मनफूली पत्नी राधेश्याम शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिंडोली तहसील सैंथल जिला दौसा
19. मौसमी पुत्र मनफूली पत्नी दौलत राम जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम धर्मपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
20. कालूराम पुत्र मुरलीधर शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम देलाडी तहसील बसवा जिला दौसा
21. सावत्री पुत्री ईश्वरमल पत्नी कमलेश जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कुण्डल तहसील सैंथल जिला दौसा
22. हंसा पुत्री ईश्वरमल पत्नी महेश जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ढाणी बावडी बोरा वाली ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**–: निर्णय :–**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाके ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा हाल गायत्री नगर दौसा का निवासी है तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 लैण्ड होल्डर की हैसियत से आवश्यक पक्षकार है। अप्रार्थी संख्या 2 से 22 सह खातेदार काश्तकार है, इसलिए पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी की वर्तमान कृषि भूमि वाके ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित खाता संख्या 242 का खसरा नम्बर 1410/2 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 1410/3 रकबा 0.0600 है०, खसरा नम्बर 1413/1 रकबा 0.1900 है०, खसरा नम्बर 1414/4 रकबा 0.0100 है०, खसरा नम्बर 967 रकबा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 968/1 रकबा 0.0600 है०, खसरा नम्बर 971 रकबा 0.4400 है० कुल किता 7 कुल रकबा 1.1400 है० तथा खाता संख्या 241 का खसरा नम्बर 967/2 रकबा 0.0100 है०, खाता संख्या 243 का खसरा नम्बर 1410/1 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 1413/2 रकबा 0.0300 है०, खसरा नम्बर 1414/3 रकबा 0.0300 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.0800 है० तथा खाता संख्या 67 का खसरा नम्बर 1416 रकबा 0.0700 है० तथा खाता संख्या 245 का खसरा नम्बर 1412 रकबा 0.0700 है०, खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.0300 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.1000 है० स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 22 सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में दर्ज खातेदार ईश्वरमल का देहांत हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 16, 21, 22 उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चले आ रहे हैं तथा खातेदार मनफूली का भी देहान्त हो जाने के कारण उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 18 लगायत 20 है। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 22 को विरासत में प्राप्त हुयी है। प्रार्थी के पिता लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण का देहान्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर प्रार्थी के नाम उक्त आराजी का नामान्तकरण खोला गया जिसमें प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम लल्लराम के बजाय लल्लू तथा लल्लूप्रसाद अंकित करते हुए खोला जाकर गलत एवं अशुद्ध अंकन कर दिया गया तथा वर्तमान जमाबन्दी में भी प्रार्थी का नाम लल्लूप्रसाद नाम अंकित कर दिया गया जिसका कोई इल्म प्रार्थी को पूर्व में नहीं हो सका। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम लल्लूराम है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लल्लूराम के स्थान पर लल्लूप्रसाद इन्द्राज हो रहा है, जिसे प्रार्थी न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर दुरुस्ती

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

कराने का अधिकारी है। प्रार्थी के सभी रिकॉर्डेड दस्तावेजात जिसमें प्रार्थी का भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, बैंक पास बुक आदि सभी दस्तावेजातें में प्रार्थी का वास्तविक नाम लल्लूराम अंकित है। ऐसी सूरत में उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्त किये जाने में कोई कानूनी अडचन भी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लल्लूराम के स्थान पर जो प्रार्थी का नाम लल्लूप्रसाद दर्ज हो रहा है उसे दुरुस्त फरमाते हुए लल्लूप्रसाद के स्थान पर लल्लूराम अंकित करते हुए इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 को दुरुस्त फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 4 से 17 व 19 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 18, 20 से 22 का नाम हज्फ किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने में अपनी सहमति बाबत् शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा ने जवाब में कथन किया कि लल्लूराम व लल्लूप्रसाद दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ग्राम दौस खुर्द तहसील दौसा स्थित अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम लल्लू/लल्लूप्रसाद के स्थान पर लल्लूराम अंकित करवाना चाहता है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में लल्लूराम व लल्लूप्रसाद दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात् यथा ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम लल्लू राम अंकित है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने भी प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने में अपनी सहमति दी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित खाता संख्या नया 242, 241, 243, 67 व 245 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम "लल्लू/लल्लूप्रसाद" के स्थान पर "लल्लूराम" अंकित किया जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

( मनीष कुमार जाटव )
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा